संशोधन से आप क्या समझते हैं?

समाज **की** आवश्यकताओं तथा उस में हो रही विकास प्रकियाओं को जीवंत बनाए रखने के लिए राज्य और कानून का गतिशील होना अनिवार्य है। समाज में परिस्थितियों और समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। आर्थिक समस्याएं सामने आती हैं, सामाजिक उथल पुथल होते हैं, राजनीतिक बदलाव होते रहते हैं। समाज कभी भी स्थिर या एक स्थिति में नहीं रहता है। बदलते समाज की गतिशीलता के अनुसार राज्य और राज्य संचालन के कानूनों को भी बदलना होता है। राज्य संचालन के कानूनों में किया जाने वाला बदलाव ही **संशोधन** कहलाता है।

किसी भी राज्य का शासन किन्हीं मूल नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, जिसके संग्रहित रूप को संविधान कहा जाता है। संविधान लिखित या अलिखित हो सकते हैं, जो किसी देश की शासन व्यवस्था का आधार होते हैं। इसमें कुछ नया नियम जोड़ना अथवा किन्हीं नियमों में कुछ बदलाव करना, घटाना आदी संशोधन कहलाता है।

ऑक्सफार्ड शब्दकोश के अनुसार '**संशोधन'** विधान में किए गए परिवर्तन का नाम है, इस परिवर्तन के द्वारा विधान में कुछ जोड़ा जाता है, उसमें कुछ सुधार किया जाता है या हटाया जाता है। **ब्लैकवेल शब्दकोष** के अनुसार, संशोधन कानून व संविधान में औपचारिक रूप से जोड़ना, बदलना अथवा परिवर्तन करना होता है।

1973 के केशवानन्द भारती बनाम् केरल राज्य विवाद में 'संशोधन' को परिभाषित करते हुए कहा गया था कि 'संशोधन' में बदलाव अथवा परिवर्तन सम्मिलित होता है। अतः स्पष्ट है कि **संशोधन से अभिप्राय कानून या संविधान या नियम आदि के प्रावधानों में जोड़ना, निकालना अथवा किसी अनुच्छेद या धारा में परिवर्तन होता है।**

संविधान में संशोधन क्यों आवश्यक है?

संविधान किसी समय विशेष और परिस्थिति की देन होता है। इसका निर्माण तत्कालीन समय की समस्याओं के समाधान के साथ भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जाता है। यह जीवित और परिवर्तनशील होता है, जड़ और स्थायी नहीं होता। समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव आवश्यक होता है। इस संबंध में लार्ड मैकाले का मत है कि **यदि किसी आदर्श संविधान में संशोधन प्रक्रिया का अभाव है तो वह संविधान जड़ बन जाएगा। उस राष्ट्र की जनता आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन संविधान पिछड़ जाएगा। यदि संविधान में सरलता से परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो क्रांति ही प्रगति का अंतिम विकल्प होगी।**

प्रख्यात भारतीय संविधान विशेषज्ञ डा. सुभाष कश्यप इस संबंध में कहते हैं कि **किसी भी संविधान की महानता इसी में है कि वह नष्ट हुए बिना बदलती हुई सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप ढल सके।**

भारतीय संविधान नामक पुस्तक के लेखक एम. वी. पायली के अनुसार **बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढलने के लिए संशोधन की अत्यधिक आवश्यकता होती है नही ंतो क्रांतिकारी सामाजिक उथल पुथल के परिणामस्वरूप संविधान के अचानक ही समाप्त हो जाने की सम्भावना होती है।**

हरमन फाइनर भी संशोधन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहते हैं कि **अपने निर्माण के दस वर्ष बाद प्रत्येक संविधान पुराना हो जाता है। आवश्यकतानुसार समय समय पर परिवर्तन द्वारा ही उसे समय सापेक्ष रखा जा सकता है।**

विद्वानों द्वारा व्यक्त उपरोक्त मतों से स्पष्ट होता है निम्नलिखित उद्देश्यों से संविधान में संशोधन आवश्यक है–

1. संविधान नियमों और प्रक्रियाओं का एक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी देश की शासन प्रणाली का संचालन होता है। यह उस देश के जनमानस की आकांक्षाओं का प्रतिफल होता है। अतः बदलती हुई परिस्थितियों में नई पीढी की प्राथमिकताओं के साथ इसमें परिवर्तन आवश्यक हो जाता है।

2. शांतिपूर्ण और न्यायसंगत उपायों से सामाजिक और आर्थिक उपलब्धि प्राप्त करने हेतु संशोधन प्रक्रिया आवश्यक है।

3. संविधान के आदर्शो और ध्येयों को पूरा करने के लिए संविधान के उन उपबंधों को संशोधित करना आवश्यक होता है जो उनसे मेल नहीं खाते।

4.समय के साथ नई नई बातों को संविधान में जोड़ने के लिए उसमें संशोधन आवश्यक होता है।

5. संविधान के अस्तित्व को मिटने से बचाने के लिए, उसे अर्थपूर्ण जीवित और समयानुकुल बनाए रखने के लिए उसमें संशोधन आवश्यक होता है।

6. संशोधन प्रक्रिया क्रांतिरहित विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।